पत्रांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–04/2026 2266

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

फैक्स/
ई–मेल

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
मुजफ्फरपुर।

/पटना, दिनांक– 02-06-2026

विषयः– **मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बायें तट पर अवस्थित चम्पारण तटबंध के कि.मी. 98.00 (बुधन ढाला) (Lat-26.491316, Long-84.659859) कि.मी. 101.20 (बिनटोली महादलित टोला) (Lat-26.475447, Long-84.685979) के बीच 3.20 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा पक्की सड़क निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–1297 दिनांक–28.03.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बायें तट पर अवस्थित चम्पारण तटबंध के कि.मी. 98.00 (बुधन ढाला) (Lat-26.491316, Long-84.659859) कि.मी. 101.20 (बिनटोली महादलित टोला) (Lat-26.475447, Long-84.685979) के बीच 3.20 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा पक्की सड़क निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के साथ दिया जाना सुनिश्चित किया जायः–

1. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. पक्की सड़क निर्माण के पूर्व तटबंध में IS11532:1995 के अनुसार रूपांकित सेक्शन के अनुरूप मिट्टी कार्य कराकर हीं पक्की सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय।
3. कार्य के दौरान तटबंध की संरचना को किसी भी प्रकार की क्षति न हो एवं तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मति/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
4. कार्य प्रारम्भ की सूचना संबंधित अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को निश्चित रूप से दी जाय, तटबंध के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जा सके।
5. तटबंध के मूल स्वरूप में एवं निर्मित संरचनाओं में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
6. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों आदि को हटाने एवं साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।

7. कार्य के दौरान तटबंध पर आवागमन बंद नहीं किया जायेगा।

8. कार्य के दौरान तटबंध पर कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य एवं अन्य कार्यों को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

9. तटबंध के उक्त भाग में सड़क का रख-रखाव ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा।

10. उक्त रीच में तटबंध पर अवस्थित कि.मी. 100.00 बाढ़ निरोधक फाटक (AFS) के प्रवाह में किसी प्रकार का अवरूद्ध नहीं होना कार्यकारी विभाग ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

01/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2026 2266 पटना/दिनांक- 02-06-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

01/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)